



# हम परिवहन संबंधी अपराधों से कैसे निपटते हैं

प्राधिकृत अधिकारी ट्रेनों, ट्रैम और बसों में यात्रा करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से संचालन करना जारी रखने के लिए हर कोई किराए का भुगतान करता है और इसमें सहायता करता है।

## वे निम्नलिखित कर सकते हैं:

- आपकी टिकट और कंसेशन (छूट) संबंधी पात्रता की जांच करना, आपके गाड़ी या स्टेशन से चले जाने के बाद भी
- प्रमाण के तौर पर आपकी टिकट ले जाने के लिए पृच्छना
- आपका नाम, पता और पहचान का प्रमाण मांगना
- परिवहन विभाग (Department of Transport) को आपकी सूचना देना
- यदि आप अनुपालन नहीं करते/करती हैं तो पुलिस के आने तक आपको हिरासत में लेना।

## बिना वैध टिकट के यात्रा करना

बिना वैध टिकट यात्रा करने के जुर्माने हैं:

**\$248**

किसी वयस्क के लिए

**\$83**

किसी बच्चे/बच्ची के लिए

## यह कैसे काम करता है:

- किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर, आपको अपनी टिकट (myki) और कंसेशन कार्ड, यदि लागू हो, तो दिखाना होगा।
- यदि ये वैध नहीं हैं, तो जिस प्राधिकृत अधिकारी से आपने बात की थी, वह Department of Transport को एक रिपोर्ट भेज सकता है।
- आपके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप अपना नाम और पता, और अपनी पहचान का प्रमाण दें।

- प्राधिकृत अधिकारी चेतावनियाँ या जुर्माने जारी नहीं करते हैं। विभाग प्राधिकृत अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करता है और निम्नलिखित जारी करता है:
  - जुर्माना
  - चेतावनी
  - कोर्ट के समन (कोर्ट में पेशी का नोटिस)
  - या फिर आगे कोई कार्यवाही नहीं करता है।
- आप जुर्माने के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। यदि आपकी अपील नामंजूर की जाती है, तो आप या तो जुर्माना देने या अपनी अपील आगे मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाने का फैसला कर सकते/सकती हैं।

## अन्य परिवहन अपराध

झूठा नाम या गलत पता बताने जैसे परिवहन अपराध और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से जुर्माना, चेतावनी या कोर्ट में पेशी देने का नोटिस दिया जा सकता है।

और अधिक जानकारी के लिए [ptv.vic.gov.au](http://ptv.vic.gov.au) देखें या 1800 800 007 पर फोन करें।

यदि आप बहरे हैं, या आप बोलने या सुनने के विकार से पीड़ित हैं, तो नेशनल रिले सेवा के माध्यम से हमसे संपर्क करें – और अधिक जानकारी के लिए [relayservice.gov.au](http://relayservice.gov.au) देखें।



अन्य भाषाओं के लिए, [ptv.vic.gov.au/languages](http://ptv.vic.gov.au/languages) देखें या 9321 5450 पर फोन करें।